न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री भंवरलाल कांसोटया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
205/2016/वाद पत्र	04.03.2016	22.02.2018

उनवान

देवकरण पिता मांगीलाल गुर्जर निवासी रूपपुरा तह0 शाहपुरा

– वादी

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् जिलाधीश महोदय, भीलवाड़ा
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, फूलियाकलां

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री त्रिलोक चन्द नोलखा : अधिवक्ता वादी

निर्णय

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया गया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है ग्राम नया सरसुन्दा प0ह0 कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां मे रामनाथसिंह पिता रतनसिंह राजपूत निवासी नया सरसुन्दा के खातेदारी अधिकार मे आ0न0 2248/1648 रकबा 5 बीघा व आ0न0 2216/1648 रकबा 5 बीघा कुल किता 2 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित थी। पटवारी हल्का द्वारा खातेदार रामनाथसिंह के पक्ष मे पास बुक दिनांक 22.06.1976 को जारी की गई उक्त आराजीयात पर कब्जा खातेदार व उनके पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। खातेदार रामनाथसिंह ने आ0न0 2095/1648 रकबा 5 बीघा व आ0न0 2096/1648 रकबा 5 बीघा कुल किता 2 रकबा 10 बीघा भूमि जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के वादी को 08.02.1990 को बिकाव कर दी गई। वादी को रजिस्ट्री मे वर्णित नम्बरों की जानकारी करने पर रजिस्ट्री मे गलत नम्बरों का वर्णन भूलवश हो गया। जबकि खातेदार रामनाथसिंह ने पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात का बिकाव करना मौखिक रूप से तय किया था। वादी को उक्त भूल की जानकारी होने पर इकरारनामा शुद्वि पत्र दिनांक 21.02.1990 को वादी के पक्ष मे लिखवा कर खातेदार द्वारा उप पंजीयक शाहपुरा के यहाँ शुद्वि पत्र की रजिस्ट्री करा दी। उक्त बिकाव पत्र व शुद्वि

पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 5 पंचायत कनेछनकलां द्वारा वादी के पक्ष मे तय करते हुए खातेदार घोषित कर दिया। शाहपुरा तहसील मे सेटलमेन्ट चला सेटलमेन्ट के बाद आ0न0 2248/1648 रकबा 5 बीघा के नये नम्बर 598 रकबा 1.23 है0 वादी के नाम पर दर्ज कर दिया। आ0न0 2216/1648 रकबा 5 बीघा के नये नम्बर 599 रकबा 1.27 है0 सेटलमेन्ट के दौरान बनाये गये जिनकों सेटलमेन्ट वालों ने वादी को बिना सूचना दिये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ कार्य करते हुए बिलानाम दर्ज कर दिया गया। जबकि वर्तमान मे भी कब्जा वादी का चला आ रहा है। प्रतिवादी नं0 2 द्वारा वादी को नाजायज कब्जे का नोटिस धारा 91 के तहत सन 2006,, 2007, 2008 मे दिये गये जिसका जुर्माना भी वादी द्वारा जमा कराया गया जिसकी रसीद संलग्न है। वादी को प्रतिवादी नं0 2 द्वारा बार बार बेदखल किये जाने से प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश कर बेदखल नही करने हेतु पाबन्द कराना चाहता है। अतः वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद पत्र के पेरा नं0 3 मे वर्णित अनुसार आ0न0 599 रकबा 1.27 है0 जो वादी की आ0न0 598 से लगी हुई है, का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी के पक्ष मे व प्रतिवादीगणों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावे कि वाद के पेरा नं0 3 मे वर्णित आ0न0 599 रकबा 1.27 है0 से प्रतिवादीगण स्वयं या नोकरों या ऐजेन्टो से बेदखल न करे व न करावे इस हेतु पाबन्द किया जावे।

प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के न्यायालय से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर दिनांक12.10.2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया पक्षकारान की तलबी की गई। दिनांक 23.11.2017 को अभिभाषक वादी एवं पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। पेरोकार सरकार द्वारा दिनांक 30.06.2015 को ही प्रकरण मे इकबाली जवाब दावा पेश किये जाने से दिनांक 08.02.2017 को प्रकरण मे तनकीयात कायम नही की जाकर साक्ष्य वादी के नियत किया गया। दिनांक 08.02.2018 को प्रकरण मे वादी का शपथ पत्र के रूप मे पेश किया गया जो पी0डब्ल्यू0 – 1 है। प्रकरण अन्तिम बहस के नियत किया गया। दिनांक 22.02.2018 को प्रकरण मे बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस मे अभिभाषक वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजात व जवाब पेरोकार सरकार का अवलोकन किया गया। खातेदार रामनाथसिंह ने आ0न0 2095/1648 रकबा 5 बीघा व आ0न0 2096/1648 रकबा 5 बीघा कुल किता 2 रकबा 10 बीघा भूमि जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के वादी को 13.02.1990 को बिकाव कर दी

गई। जो प्रदर्श – 12 ए है। वादी को रजिस्ट्री मे वर्णित नम्बरों की जानकारी करने पर रजिस्ट्री मे गलत नम्बरों का वर्णन भूलवश हो गया। जबकि खातेदार रामनाथसिंह ने पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात का बिकाव करना मौखिक रूप से तय किया था। वादी को उक्त भूल की जानकारी होने पर इकरारनामा शुद्वि पत्र दिनांक 21.02.1990 को वादी के पक्ष मे लिखवा कर खातेदार द्वारा उप पंजीयक शाहपुरा के यहॉ शुद्वि पत्र की रजिस्ट्री करा दी जो प्रदर्श – 13 ए है। नामान्तरकण संख्या 5 जो प्रदर्श – 3 है अनुसार ग्राम नया सरसुन्दा प0ह0 कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां आ0न0 2216/1648 रकबा 5 बीघा व आ0न0 2248/1648 रकबा 5 बीघा कुल किता 2 रकबा 10 बीघा भूमि रामनाथसिंह पिता रतनसिंह राजपूत सा0 देह खातेदार से देवकरण पिता मांगीलाल गुर्जर सा0 रूपपुरा खातेदार सरपंच कनेछनकलां द्वारा स्वीकृत किया गया है। उसके पश्चात् भू–प्रबन्ध का कार्य चला जिसके दौरान एक आ0न0 2248/1648 रकबा 5 बीघा के नये नम्बर 598 रकबा 1.23 है0 बने जो वादी के नाम दर्ज कर दी गई किन्तु जमाबन्दी संवत 2051–70 बनी जो प्रदर्श – 6 है मे आ0न0 2216/1648 रकबा 5 बीघा जिसके हाल नम्बर 599 रकबा 1.27 है0 बने है जिसको बिलानाम सरकार दर्ज किया गया है। मिलान क्षैत्रफल ग्राम नया सरसुन्दा जो प्रदर्श – 5 है उसके अनुसार साबिक आ0न0 2216/1648 के नये नम्बर 599 रकबा 1.27 है0 बने है ग्राम नया सरसुन्दा की जमाबन्दी संवत 2071–74 जो प्रदर्श – 4 है के अनुसार हाल नम्बर 599 रकबा 1.27 है0 बारानी तृतीय बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि वादी द्वारा कुल 10 बीघा भूमि साबिक रेकार्ड अनुसार रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के क्रय की गई थी कुल 10 बीघा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 5 वादी के पक्ष मे खुल चुका था किन्तु वक्त भू–प्रबन्ध सेटलमेन्ट द्वारा 5 बीघा भूमि ही खातेदारी मे दर्ज की गई 5 बीघा को बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया गया है। अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0ए0 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम नया सरसुन्दा प0ह0 पेटा नाहर सागर तहसील फूलियाकलां मे स्थित आ0न0 599 रकबा 1.27 है0 किस्म बारानी तृतीय बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है, का वादी देवकरण

पिता मांगीलाल गुर्जर निवासी रूपपुरा तहसील शाहपुरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज के आदेश तहसीलदार, फूलियाकलां को दिये जाते है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 22.02.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ, जिला-भीलवाड़ा